भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

03.03.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 804

न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल आरंभ करना

804. **श्री अम्बेथ राजन:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है कि 12 जून, 2015 को 1500 करोड़ रूपए की लागत से भारत में न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल (एनआईपी) आरंभ करने के बाद विश्व भर में अनेक ईंधन आपूर्तिकर्ताओं ने भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में रूचि दिखाई है; और**

(ख) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभी कितनी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) तथा (ख) **मैसर्स जनरल इंश्योरेस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी-आरई) ने कई अन्य भारतीय बीमा कंपनियों के साथ, नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत निर्धारित दायित्व के अनुसार बीमा प्रदान करने हेतु 12 जून, 2015 को 1500 करोड़ रूपए की क्षमता वाला भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) आरंभ किया है। भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी), नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व से संबंधित आशंकाओं का समाधान करेगा, और भारतीय नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं में प्रतिभागिता हेतु भारत के साथ-साथ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।**

*****